बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/ग्रा0 ज0 1–101/2015(खण्ड) –644(ग्रा0) पटना – 15 .दिनांक :– 28/03/201

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा।

विषय – वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2015–16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु 5.57 लाख रूपये (पाँच लाख सन्तावन हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक – 6/ग्रा0 ज0–1–101/2015 – 1777 दिनांक – 06/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017–18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से छपरा, नगर परिषद में चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु 5.57 लाख रूपये (पाँच लाख सन्तावन हजार रूपये) मात्र का आवंटन किया जाता है :–

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष – 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय – उपमुख्य शीर्ष – 02–मल–जल तथा सफाई – लघु शीर्ष – 106–मल–जल सेवाएँ – मांग संख्या – 36 – उप शीर्ष – 0104–शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण – विपत्र कोड – 36–4215021060104 – विषय शीर्ष – 0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दरों की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।

4. इस आवंटन से होने वाला व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किये जाने वाले चापाकलों पर किया जायेगा।

5. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

7. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक – एम0 04 – 05/98 – 2561 (वि0 – 2) दिनांक – 17–04–98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

8. कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारिख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

Scmishra 28.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियन्ता प्रमुख

ज्ञापांक :- 644(मा0)

पटना, दिनांक :- 28/03/2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, सारण / उप–विकास आयुक्त, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / अधीक्षण अभियन्ता, छपरा / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–I) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S. mishra 28.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियन्ता प्रमुख